दिनांक 24.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 35/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गणतंत्र दिवस, महाकुम्भ–2025 के दृष्टिगत उच्च स्तर की सतर्कता/सुरक्षा–व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद/पुलिस अधीक्षक रेलवे उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण को गणतंत्र दिवस एवं महाकुम्भ–2025 के दृष्टिगत उच्च स्तर की सतर्कता/सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः–

- गणतंत्र दिवस एवं महाकुम्भ–2025 के दृष्टिगत प्रदेश एवं जनपदों के समस्त प्रवेश द्वारों पर निरन्तर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाये। अन्तर जनपदीय व अन्तः जनपदीय चेक पोस्ट एवं बैरियर डियूटी को सतर्क व समुचित ब्रीफ किया जाए। समस्त सी0सी0टी0वी0 कैमरों को क्रियाशील कर लिया जाये।
- गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समस्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, आयोजनों यथा तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, झॉकी आदि के आयोजकों से पूर्व से ही वार्ता कर भीड़ का आंकलन कर तदनुसार उन्हें सूचीबद्ध कर पर्याप्त सुरक्षा/यातायात व्यवस्था की जाय।
- तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, झॉकी आदि कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जायें। मार्ग में पड़ने वाली इमारतों पर आवश्यकतानुसार रूफ–टाप ड्यिूटी लगायी जाये तथा सुरक्षा कर्मियों को ड्यिूटी लगाने से पूर्व विधिवत ब्रीफ कर दिया जाये।
- रेलवे स्टेशन/मेट्रो स्टेशन/बस स्टेशन/एयरपोर्ट, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन के स्थल शॉपिंग मॉल, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस/भीड़–भाड़ वाले स्थानों एवं धार्मिक स्थलों पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबन्ध किये जाये तथा एण्टी सेबोटॉज चेकिंग करायी जाये।
- प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के मार्गों पर सुरक्षा के दृष्टिगत रेल, सड़क एवं हवाई आवागमन पर विशेष सतर्कता बरती जाए। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गतिविधियों की निरन्तर निगरानी की जाये तथा बार्डर पर तैनात सुरक्षा बलो के साथ समन्वय बनाये रखा जाये।
- माइक्रोलाइट एयर काफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंगग्लाइडर, ड्रोन्स एवं अन्य मानव रहित विमानों की उड़ानों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। नियमों एवं मानको के विपरीत इनकी उड़ान प्रतिबन्धित की जाये।

- जनपदीय अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय रखा जाय तथा छोटी सी छोटी लाभप्रद सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जाये। प्रतिबन्धित संगठनों तथा आतंकवादी संगठनों से सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधियों पर गहन निगरानी रखते हुये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- कमिश्नरेट/जनपदों की सोशल मीडिया टीम 24X7 सक्रिय रहकर मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्मो पर निगरानी रखते हुये मुख्यालय की सोशल मीडया टीम से समन्वय रखकर आपत्ति जनक एवं भ्रामक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- अवैध शस्त्रों/कारतूसों एवं विस्फोटक पदार्थों आदि की तस्करी रोकने एवं संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु स्थायी चेक पोस्ट के अतिरिक्त अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की आकस्मिक चेकिंग करायी जाए।
- समस्त जनपद/कमिश्नरेट में नियमित रूप से प्रातःकालीन पोस्टर पार्टी का गठन कर चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
- गणतंत्र दिवस के आयोजनो की अचूक सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं पुलिस बल को समुचित ब्रीफ करते हुए उच्च सतर्कता रखी जाए। इस सम्बन्ध में नियमित चेकिंग, प्रभावी फुट पेट्रोलिंग एवं अधिक से अधिक बल के साथ फ्लैग मार्च किया जाये।
- महाकुम्भ–2025 के अन्य अमृत स्नानों के दृष्टिगत पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिशिचित की जाये।

दिनांक 24.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 36/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना हथगांव

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 24.01.2025 को थाना हथगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा छिवलह में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शब्बीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बांदा, फतेहपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हथगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शब्बीर निवासी कस्बा व थाना चिल्ला जनपद बांदा वर्तमान पता–दरियापुर मजरे दुदौली थाना हथगांव जनपद फतेहपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद हाथरस/थाना कोतवाली नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23/24.01.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—विकास 2—लालूपाल घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—विकास निवासी किशनपुर कपलिया जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

2—लालूपाल निवासी कपिलकलां जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 01 लाख 04 हजार 280 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **आधार कार्ड, विजिटिंग कार्ड आदि बरामद**

दिनॉकः 23.01.2025 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला जाफरनवाज से अभियुक्त हैदर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 04 हजार 280 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, विजिंटिंग कार्ड आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हैदर निवासी चौक शमादार मोहल्ला जाफरनवाज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 04 हजार 280 रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–आधार कार्ड, विजिंटिंग कार्ड आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ यूनिट मेरठ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 500 ग्राम अवैध चरस**
- **03 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनॉकः 23.01.2025 को एएनटीएफ यूनिट मेरठ द्वारा सूचना के आधार पर यमुना एक्सप्रेस–वे जीरो पॉइन्ट आगरा की तरफ थाना बीटा–02 कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर से 03 अभियुक्तों 1–भाकुस कामी उर्फ बागसुर कामी 2–धीरज 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 500 ग्राम अवैध चरस, 03 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–02 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भाकुस कामी उर्फ बागसुर कामी निवासी गॉव थवांग वार्ड नं0–03 जनपद रोलपा, नेपाल हालपता–नाहरपुर विलेज रोहणी सेक्टर–07 नार्थ वेस्ट दिल्ली।
2–धीरज निवासी गॉव छाना गलाती थाना धारचूला जनपद पिथरौगढ़, उत्तराखण्ड।

3–अभियुक्ता

बरामदगी

1–लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलो 500 ग्राम अवैध चरस।

2–03 मोबाइल फोन।

3–नगद रूपये आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना देवबंद

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **07 कारतूस जीवित विभिन्न बोर**
- **10 लोहे की नाल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 24.01.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम जटौल तैय्यबपुर बड़ा से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 02 अभियुक्तों 1–धनपाल 2–दानिश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 07 कारतूस जीवित विभिन्न बोर, 10 लोहे की नाल, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना देवबंद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धनपाल निवासी तैय्यबपुर बड़ा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

2–दानिश निवासी तैय्यबपुर बड़ा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–07 कारतूस जीवित विभिन्न बोर।

3–10 लोहे की नाल।

4–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना मिर्जापुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 742 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनॉकः 24.01.2025 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त अली खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 742 ग्राम अवैध चरस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अली खान निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—02 किलो 742 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद बलिया/थाना नगरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय बलिया द्वारा थाना नगरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त खालिद को आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सांडी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय हरदोई द्वारा थाना सांडी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376(2)झ भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना बौण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय बहराइच द्वारा थाना बौण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————